SHRI PRAMOD MAHAJAN (Maharashtra): On Governor also.

श्री उपसभापति: अभी कहा गया - परम्परा। अभी क्या परम्परा है, मैं वह भी देखूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वहां राष्ट्रपति शासन है तो क्या कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: उस शासन में भी परम्परा वही है।

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Re: Certain alleged remarks made by a Cabinet Minister in an interview on a Television Chennel

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे एक लोक महत्व के विषय को उठाने की अनुमति दी है। मैं नियम-परम्पराओं की मर्यादा में रहूंगा और वहां की जो परम्पराएं रही हैं, उनके अनुसार भी अपनी बातें कहूंगा।

आदरणीय उपसभापति जी, भारत के संविधान में कुछ प्रावधान हैं। ये प्रावधान बहुत ही स्पष्ट हैं। महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यह संविधान की धारा 155 में लिखा हुआ है, "The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal." यह प्रावधान है। संविधान की धारा 156 में लिखा हुआ है। "The Governor shall hold office during the pleasure of the President." हम संसदीय लोकतंत्र में हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी अपने इन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग मंत्री परिषद, प्रधान मंत्री जी की सलाह पर करते हैं। यह लोक महत्व का विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि यू॰ पी॰ ए॰ सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री ने एक साक्षात्कार में यह कहा है कि* ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): महोदय, माननीय सदस्य ये क्या कह रहे हैं? ...(व्यवधान)... उन्होंने अभी कहा कि गवर्नर का अप्वांटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं। ...(व्यवधान)... फिर वे ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कुछ सुनने दीजिए। ...(व्यवधान)... भंडारी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान).... भंडारी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, उन्होंने अभी-अभी कहा है कि ...(व्यवधान)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापतिः भंडारी जी, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप क्यों नहीं बैठेंगे? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारीः महोदय, मैं इनसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं जो इन्होंने अभी-अभी कहा है कि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा होती है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... भंडारी जी, मैं खड़ा हुआ हूं। ...(**व्यवधान**)... देखिए, आप थोड़ा बैठ जाइए। मैं बोलूंगा। ...(**व्यवधान**).... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ कुमकुम राय (बिहार)**:** महोदय, एक चैनल के आधार पर ...(**व्यवधान**).... महोदय, यह गलत है। ...(**व्यवधान**)....

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)... It is a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will listen to you, but, now, I am on my legs...*(Interruptions)*... Please sit down ...(*Interruptions*)...

मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... जब चेयर खड़ी होती है, तो उसकी बात सुननी चाहिए। यह परम्परा है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारीः महोदय, हाऊस का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये रिलेवेंट बात बोलें, इरिलिवेंट बात न बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः देखिए, इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी। चेयर को तो सुनना पड़ेगा कि क्या बात कह रहे हैं। उसके बाद कुछ बोलें। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारीः सर, चेयर को तो सुनने को हम तैयार हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहे हैं? अभी तो उन्होंने अपना सेंटेंस कम्पलीट ही नहीं किया और आप खड़े हो गए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am on a point of order. Please allow me. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will definitely allow you. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Please allow me, Sir. ...(*Interruptions*)... Please allow me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? क्या पाइंट ऑफ आर्डर है, आनन्द शर्मा जी।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, as per the Rules of this House, ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Which rule?

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it is Rule 238(v). It says, "If any Member raises an issue which reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms." Has a notice been given? Has a substantive notice been given? That is what I want to know. That is my point of order. ...(*Interruptions*)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: राज्यपाल केबिनेट के किसी मिनिस्टर का नोमिनी कैसे हो सकता है? ...(व्यवधान).... राज्यपाल किसी मंत्री का नोमिनी कैसे हो सकता है? ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no; you need not say it. He has raised a point of order. It is for the Chair to decide, not for you. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, if there is a notice, then, that is a different issue. Otherwise, the House must go by the Rules. ...(*Interruptions*)... The House must go by the Rules. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Leave it to the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: If there is a substantive motion, Sir, then, it is a different matter. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. You see, that is why at the very beginning when I called Mr. Ravi Shankar Prasad, I said, "You should follow the Rules. You should not raise the Governor's conduct, and whatever you speak that should be within the Rules." I said that 'I will not permit anything outside the Rules.' I have already given the ruling that things like that should not be raised. So, if the Chair has permitted him to raise certain issues for which he has requested, let me listen, and then I will see whether. ...(*Interruptions*)... If the Chair is saying something and you are speaking in between, it is not a guidance to the Chair, it is a disturbance to the Chair. Please listen to me. So, when he has been permitted by the Chair, let him say

whatever he wants to say. If he would not follow the Rules, I will follow the Rules. Be assured. ...(*Interruptions*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, what he has stated is that 'he is a nominee of the... ...(*Interruptions*)... Yes; Sir, he has stated it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will look into it. ...(*Interruptions*)... Mr. Poojary, please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, it is an aspersion on the Chair. How can you allow it? ...(*Interruptions*)... Is it going on record? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will look into it. ...(*Interruptions*)... यह क्या बात है? मैंने कहा कि "I will look into it." Suppose he has said something which is not according to the Rules, I am going to remove it. ...(*Interruptions*)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, ये जो अभी बोल रहे हैं, यही बात बोलने जा रहे हैं। अभी जो इन्होंने शुरू किया है, यही बात बोलने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपको मालूम है, क्या बोलेंगे? मुझे तो मालूम नहीं कि वे क्या बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, देश में और भी बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर इनको बोलना चाहिए। इस विषय पर बोलकर अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और हाऊस का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: ठीक है, आप बैठिए। बोलिए, रवि शंकर जी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय उपसभापति जी, मैंने आपसे आरंभ में कहा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: भंडारी जी, आप बैठिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय उपसभापति जी मैंने आपसे आरंभ में कहा, मैं यहां पर भारत सरकार के एक मंत्री के बारे में चर्चा कर रहा था, जो मुझे अधिकार है। मैं आदरणीय माननीय मित्र आनन्द शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि आप 238 के एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि सबस्टेंटिव मोशन उनके लिए आवश्यक होगा, जिनके लिए कंस्टीट्यूशन

में प्रेसक्रिप्शन है। संविधान के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय न्यायाधीश के लिए प्रावधान है, Governor holds the Office at the pleasure ...(व्यवधान)... फिर भी मैं आपने मुझे जो निर्देश दिया है, उसके अनुसार मैं चलूंगा। मैं आपसे कह रहा था। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If both Members start answering each other, how can we proceed? ...(*Interruptions*)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय उपसभापति जी, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। यह एक गंभीर विषय है और मेरे सामने उस चैनल ने अपना ऑफिशियल प्रेस रिलीज इश्यू किया है, उसकी प्रति मेरे पास है, जो मैं सदन के सामने रखूंगा। मैं सिर्फ यह कोई केजुअल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं महामहिम राज्यपाल का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा है, वह कहूंगा - "He is doing a good job. I am very happy with his work. He has our full support. He is my nominee and he will not go." ...(*Interruptions*)... सर, यह कहा है उन्होंने ...(व्यवधान).... यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, गवर्नर साहब की नियुक्ति कोई केबिनेट मिनिस्टर नहीं करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: जरा सुनने तो दीजिए, आप। ...(व्यवधान)... आपको क्या आपत्ति है? ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: यह क्या बोल रहे हैं, सर? आप ही बताइए, क्या केबिनेट मिनिस्टर को गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार है? ...(व्यवधान)... इस बात की चर्चा करने की क्या आवयकता है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: उस बारे में सरकार जवाब देगी, सरकार बोलेगी। ...(व्यवधान).... उसके बारे में सरकार जवाब देगी। ...(व्यवधान)... भंडारी जी, देखिए, इनको परमिट किया गया है। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: लालू जी की वजह से तो पेट का दाना नहीं पचता है आपको। ...(व्यवधान).... लालू जी की वजह से ...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): जिनको यह पाठ पढ़ाना है, उनको पढ़ाइए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः भंडारी जी, आप बैठिए। आप भी बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... भंडारी जी, ...(**व्यवधान**)... देखिए, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, बैठिए। आप भी बैठिए। ...(**व्यवधान**)... देखिए, आप बैठिए तो। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसादः उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः भंडारी जी, एक मैम्बर को चेयर से परमिशन दी गई है और मैंने पहले ही इनको कहा है कि नियमों की हदों में रहकर ही आपको बात करनी है, अगर नियमों के बाहर जाएंगे तो मैं आपकी उस बात को निकाल दूंगा और परमिट भी नहीं करूंगा। यह मैंने पहले कह दिया है इनको अपने विचार रखने का हक है, इन्हें चेयर ने परमिट किया है, मैं इससे ज्यादा ...(**व्यवधान**).... देखिए, प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारीः कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर किसी गवर्नर की नियुक्ति कर सकता हो, इस पर हाऊस में बोलकर ये क्या कहना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**).... ये हाऊस में यह बोलकर क्या कहना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः भंडारी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)... इनके बोलने के बाद अगर आप समय चाहते हैं तो मैं आपको भी समय दूंगा, उस वक्त आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको समय दूंगा। आपके विचार भी हाऊस सुने, इनके विचार भी हाऊस सुने।

श्री रवि शंकर प्रसादः आदरणीय उपसभापति जी, भंडारी जी हमारे अच्छे मित्र हैं और इनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मैं बात को इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा था क्योंकि ये कोई केज्युअल कमेंट नहीं हैं, यह प्रॉपर एक टेलीविजन के चैनल पर साक्षात्कार पर की हुई बात है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारत सरकार के एक मंत्री ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं-"He is exercising the power, not only of the Prime Minister, but also of the President. He will not go. He is my nominee." यह बहुत गंभीर विषय है। आदरणीय गृह मंत्री जी, हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसका आप पता लगाएंगे। मुझे दो बातें और कहनी हैं ...(**व्यवधान**)...एक पत्र का मामला है ...(**समय की घंटी**)... मुझे दो मिनट दीजिए। मुझे बोलने नहीं दिया गया, इंटरप्ट किया गया था। यह पत्र का मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यह साधारण चिट्ठी नहीं है। बिहार में राष्ट्रपति शासन है। एक पत्र लिखा गया, एक पदाधिकारी को एक पोस्ट देने के लिए, जिस कंट्रोलर का बजट 550 करोड़ रुपए है। उस पत्र की भाषा यह है कि उसको 20 साल से लिखने वाले जानते हैं, जिन्होंने लिखा है वह पत्र रेल मंत्री को, और उस अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी है। इससे तीन

सवाल उठते हैं। एक क्या आप बिना जानकारी के पत्र लिखते हैं? ...(व्यवधान).... दूसरे, क्या आप यह लिख सकते हैं कि इनको यहां ही पोस्ट करिए और उनको हटा दीजिए। उपसभापति जी, मैं आपसे यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले हमने इस सदन में मामला उठाया था कि बिहार के चीफ सैक्रेटरी छुट्टी पर गए थे, इस तरह की पोस्टिंग को लेकर। यह बहुत गंभीर विषय है।

अत: मैं मांग करूंगा कि बिहार के राज्यपाल को वापिस बुलाया जाए और जिस तरीके से एक वरिष्ठ मंत्री ने बात की है, उनको भी इस सरकार से हटाया जाए। यह हम मांग करते हैं, यह हम कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)....

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, the last statement that he made is against the ruling. you have already given a ruling ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, speak one by one ...*(Interruptions)*... Three of you are standing up and speaking all at once. How can I decide? ...*(Interruptions)*... If you want to speak ...*(Interruptions)*... He has completed.... Please, speak one by one. अगर आप one by one पूछेंगे, तो मैं कुछ कहूंगा, अगर चार आदमी एक साथ उठकर बोलने लगेंगे तो what decision could I give?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, you have already given the ruling that if the hon. Member speaks within the ambit of the rules, he would be permitted, otherwise not. The last words that he has used, about recalling the Governor, is against the rules. It goes against the ruling that you have given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall examine it ...*(Interruption)*... I shall look into it.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, it is clearly known that it is beyond the rules ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, I am assuring you that I shall go through the rules, and if what he has said is against the rules, I shall delete it ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAMOD MAHAJAN (Maharashtra): Sir, we are only requesting the Government to recall the Governor. I do not know what is against the rules.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When you have raised an issue, I will have to look into it. Mr. Digvijay Singh.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: With folded hands, we are just requesting the Government to recall the Governor. We are not saying anything else. I do not know what is wrong in just asking the Government to recall the Governor. Please, recall him ...*(Interruption)*... Let him submit the facts. What is against the rules? What is wrong with it?

श्री उपसभापति: बोलिए दिग्विजय सिंह जी। मेरी आपसे भी विनती वही है, जो मैंने रवि शंकर प्रसाद जी से की थी।

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): उपसभापति महोदय, यह जो सवाल हमारे मित्र श्री रवि शंकर प्रसाद जी ने उठाया, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि संविधान के निर्माताओं ने जिस समय ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलते रहिए, आप किसी को रिएक्ट मत कीजिए ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: जिस संविधान को संविधान के निर्माताओं ने बनाया था, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे और भारत सरकार के किसी भी मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करेंगे। इस प्रकार चाहे मंत्री हों या राज्यपाल हों, ये दोनों ही राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं। अब जिस बात को उन्होंने उठाया है, मैं यह बात कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि यह गंभीर सवाल है या नहीं? यह भारत के राष्ट्रपति का अपमान है या नहीं? मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और आप लोग केवल अपनी सरकार को चलाने के लिए ही यहां पर बैठे रहेंगे तो देश के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई और बुरा काम नहीं हो सकता है ...(व्यवधान)... इसलिए उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे मंत्रियों पर या तो वे लगाम लगाने की कोशिश करें और यदि वे बेलगाम हो रहे हों तो उन्हें बरखास्त किया जाए ताकि राष्ट्रपति जी का अपमान न होने पाए। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: भंडारी जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... No, No, I have identified Shri Bhandari ji. ...(व्यवधान)... देखिए यह गलत है ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए, यह ठीक नहीं है ...(व्यवधान)... देखिए चेयर किसी को भी आइडेंटीफाई कर सकती है, इसलिए आप बैठ जाइए ...(व्यवधान).... अगर चेयर आपको आइडेंटीफाई करे, तभी आप बोलिए ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ला (उत्तर प्रदेश): महोदय, जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब मिनिस्टर थे तब श्री वी॰ सी॰ पांडे ...(व्यवधान)... जिसको उन्होंने कहा था कि गवर्नर नहीं हटेगा, तब क्या वह जायज था। जब श्री वी॰ सी॰ पांडे को नहीं हटाने के लिए ...(व्यवधान)... जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, तब वह जायज था? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: शुक्ल जी, आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... भंडारी जी, आप संक्षेप में कहिए, यह डिस्कशन नहीं है, केवल दो मिनट में ही अपनी बात कीजिए ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय उपसभापति जी, मैंने विद्वान एड्वोकेट श्री रवि शंकर जी को भी सुना और पूर्व माननीय मंत्री जी को भी सुना। महोदय, मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं।

श्री उपसभापति: आप पीड़ा को रहने दीजिए, केवल इसी के ऊपर बोलिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं इनका दर्द समझता हूं ...(व्यवधान)... महोदय, छः वर्षों तक राज करने के बाद अगर कोई सड़क पर आ जाता है तो मैं उनकी पीड़ा को महसूस करता हूं।

श्री उपसभापति: देखिए, भंडारी जी आप बोलिए लेकिन मैंने आपको ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): क्या यह बहस है, ये क्या यहां पर अभी बहस कर रहे हैं?

श्री उपसभापति: नहीं, यह बहस नहीं है, आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: जब बहस करनी हो, तभी बहस करें। ये क्या कर रहे हैं। महोदय, जब कोई भी मुद्दा उठता है, स्पेशल मेन्शन या जीरो आवर में, तो उसे एसोसिएट करने के लिए कोई मैंबर उठ सकता है, डिसएसोसिएट करने के लिए नहीं। ...(व्यवधान)... या तो गवर्नमेंट इसका जवाब दे या फिर चेयरमैन जवाब दे। ...(व्यवधान)... अगर कोई इसे डिसएसोसिएट करने के लिए खड़ा हुआ है ...(व्यवधान)...।

श्री उपसभापति: यह स्पेशल मेन्शन नहीं है ...(व्यवधान)... अहलुवालिया जी, यह सही बात नहीं है ...(व्यवधान).... During the discussion, it is Chair's prerogative, please you keep quiet, during the discussions it is Chair's prerogative for the smooth conduct of the House, मैम्बर्स की इंटरेप्शन्स को एवॉएड करने के लिए ही मैंने उनसे यह बात कही, वे चूंकि इंटरेप्ट कर रहे थे तो मैंने यह कहा है कि मैं आपको भी समय दूंगा और मैं मौका दे भी रहा हूं, it is Chair's ruling, यही रूल सब पर लागू होता है ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, तो क्या वे यहां पर बोलेंगे या नहीं, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: इसके बाद हम सरकार से भी पूछेंगे, देखिए आप अपने विषय पर ही बोलिए, आपको उनके चरित्र पर या इधर-उधर की बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने विषय पर ही आइए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं उनका दर्द महसूस कर रहा हूं।

श्री उपसभापति: दर्डा साहब, आप बैठिए, आप एक डिस्सिपलिंड मैंबर हैं, आप बैठिए। ...आप जल्दी बोलिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं अपना ही दर्द बोलता हूं। महोदय, पिछले 13 वर्षों से मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं। अगर मैं एकाएक रिटायर हो जाता हूं तो मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूं उसी पीड़ा को वे लोग क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ठीक है, आप इसके ऊपर आइए। ...(**व्यवधान**)... आज का जो विषय है उसी पर ही बोलिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं उसी पर ही बोल रहा हूं। महोदय, 6 वर्ष तक कोई सरकार में रहने के बाद अगर शासन से सड़क पर आ जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें दर्द होगा या नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would like to know whether the Government would like to react on this or not.

देखिए, अगर वह रिलिवेंट है तो मैं सुनता हूं। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय मैं कह रहा हूं कि माननीय रवि जी ने, जो बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं, कहा कि लालू जी गवर्नर साहब को अपना नॉमिनी बतलाते हैं। क्या संविधान में ऐसी कोई बात है? गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं समझ गया, देखिए, एक टी॰ वी॰ के ऊपर आया, उसको उन्होंने कहा कि I am going to authenticate. इसके ऊपर बोलेंगे।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, आजकल भारतीय जनता पार्टी में टी॰ वी॰ और अखबार के बड़े-बड़े नेता हैं। जनता के बीच जो बात नहीं कह पाते हैं वह बात टी॰ वी॰ और अखबार के माध्यम से बोलते हैं। महोदय, जनता में उनका विश्वास नहीं, टी॰ वी॰, रेडियो और अखबार

में उनका अधिक विश्वास है इसी माध्यम से वे जनता के बीच आना चाहते हैं, जो सम्भव नहीं है।

श्री उपसभापति: अगर उनका विश्वास है तो आप क्यों बोलते हो।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मेरा कहना है कि यह विषय बिल्कुल इर्रिलिवेंट है।

श्री उपसभापति: ठीक है, आपने कह दिया इर्रिलिवेंट है, तो बात खत्म हो गई।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं, महोदय, मुझे कहने दिया जाए।

श्री उपसभापति: वह कैसे, आपने कह दिया रवि शंकर प्रसाद जी जो कह रहे हैं वह इर्रिलिवेंट है तो ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, चिट्ठी के बारे में उन्होंने चर्चा की। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: उन्होंने नाम नहीं लिया तो आप क्यों ले रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: बस, वह नहीं जाएगा।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, आप चिट्ठी निकलवाइए, कितने अत्याचार उन्होंने किए हैं, केबिनेट मिनिस्टर की चिट्ठी निकलवाइए, जांच कराएं होम मिनिस्टर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: रिलिवेंट ही जाएगा। Otherwise, it will not go on record. *(Interruptions)* I have permitted you only to give reaction only on what Mr. Ravi Shankar Prasad has said. Nothing else.

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, टी॰ वी॰, रेडियो और अखबार के माध्यम से..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: भंडारी जी, आप एक सीनियर मेंबर हैं इस हाउस के। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: मैं समझता हूं कि इस तरह से हाउस का समय बरबाद होता है, जो अच्छे काम होने हैं वे नहीं हो पाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Sir, one minute. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, please co-operate. *(Interruptions)* Please co-operate. Why are you ...*(Interruptions)*... आप

बैठिए, ... । देखिए, मैं खड़ा हुआ हूं, Nothing will go on record. *(Interruptions)* I am on my legs. *(Interruptions)* Nothing will go on record.

SHRI S.S. AHLUWALIA: ...आपने एलाऊ किया है। ...(व्यवधान)... इसको एक्सपंज कराइए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं बोला हूं ...(व्यवधान)...

SHRI N. JOTHI:* (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have clarified. Mr. Jothi. Why do you also want to clarify? (*Interruptions*)

SHRI N. JOTHI:* (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. (*Interruptions*) Nothing will go on record.

SHRI N. JOTHI:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I have not allowed you. (*Interruptions*) I am not allowing anybody. This subject is closed. Now, if the Government wants to react....(*Interruptions*) No, no. This will not go on record. Now, the Home Minister to react on this. मैं किसी को एलाऊ नहीं करूंगा।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir,...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please...(*Interruptions*)... I have called him...(*Interruptions*)...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Please, assure the House that the elections in Bihar shall not be extended....(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, there are three issues raised. One issue relates to the Minister. The other issue is in the nature of allegation against the Governor; and the third issue relates to the elections as such. As far as the statement regarding the Minister is concerned, we all know how the Governor is appointed and all those things. It is not necessary for us to discuss that matter on the floor of the House.

---

*Not recorded.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Will you tolerate the ....(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have to tolerate so many things. When I am interrupted, I have to tolerate...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)... अहलुवालिया जी...(व्यवधान)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have to tolerate, Ahluwaliaji....(*Interruptions*)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Uttar Pradesh): We understand the duress under which the Home Minister is....(*Interruptions*)...

SHIR SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it is not necessary for us to discuss that matter. Everybody knows it. Probably, they wanted to discuss something on the floor of the House, and they have discussed. I am not going to take any objection to that.

As far as the second part of the statement made by the hon. Member is concerned, you have given the ruling, and that ruling should have been followed. Now, as a matter of fact, against any person, in a responsible position, like the President, the Vice-President, the Speaker, the Governor, unless a substantive motion is moved, with a notice of 14 days, the matter cannot be discussed. Now, we are insisting on discussing a matter of this kind and this is not in order, and you have ruled that it is not in order.

Sir, as far as the third point is concerned, the elections will be held in a proper manner. And, you all know, and we also know, that the Election Commission is an independent Constitutional body, created to see that the elections are properly held. We will assist the Election Commission in every respect to hold the elections in a proper manner.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...(*Interruptions*)... Now, we will continue the debate on the situation arising out of the striking down of the IMDT Act by the Supreme Court. Shri Silvius Condpan.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Mr. Deputy Chairman, Sir, I have been permitted by the Chair.

DEPUTY CHAIRMAN: Sorry, Yes, yes. You may speak now.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, I want the Taj Mahal to be ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, on the issue of CAG report...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, on. That has not been permitted. He has been permitted by the Chair. Therefore, I am just allowing him....(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir there is an attack on the Constitutional authority of the CAG....(*Interruptions*)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, on, that has not been taken up. We will discuss it with the Chair...(*Interruptions*)...

Re. Need to maintain and protect the Taj Mahal as a National Monument

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Sir, I want the Taj Mahal to be protected as a national monument in a dignified manner. The Archaeologicai Survey of India should be empowered further to protect and preserve the national monuments and heritage sites. Sir, the Mughals were not plunderers. They were great builders and they created assets, not for their progeny, but for the Indian nation. Sir, Babar left a will telling his progeny to live and die in India. The Babarnama, which is there in the library, the *Tuzuk-e-Jahangiri* did never talk of any WAQF and Trusts. Sir, the Mughals had united India. Akbar the Great looked at mankind, living in India, as one nation. Akbar strengthened unity in India's diversity. That continues to be India's strength. Sir, an unknown Waqf's laying claim on the Taj is disgusting. I would not like to go into the question of how some Muslims have managed the Waqf properties. There are scores of instances of corruption. The so-called Waqf has cracked a joke with the judicial system and tried to denigrate the Parliament. No Waqf in India can have any claim on the Taj. Sir, where were these Waqfs when seven mounds of pure gold, adorning the *kalash,* the pinnacle of the Taj, were stolen during Lord Lake's time in 1805? An